आदेश से रीडर

29/5/17 पत्रावली पेश हुई। वादी आपसी इकरार से प्रस्तुत (शी)
पत्थरगढ़ी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है
एवं निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल
फाईल किया गया। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो
बाद [illegible] से पूर्ण हो

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

प्रकरण संख्या :– 20/2017

1. जस्सू पत्नी नाथु गुर्जर, निवासी गुरंला तहसील व जिला भीलवाडा।
2. सायरी पत्नी देवी लाल गुर्जर, निवासी गुरंला तहसील व जिला भीलवाडा।
3. नाराणी पत्नी मिठु गुर्जर, निवासी गुरंला तहसील व जिला भीलवाडा।
4. अनोपी पत्नि राजू गुर्जर, निवासी गुरंला तहसील व जिला भीलवाडा।

–प्रार्थियागण

बनाम

1. बक्षु पिता गोमा कीर, निवासी कीरखेडा (गुरलां) तहसील व जिला भीलवाडा।
2. रोडु पिता गोमा कीर, निवासी कीरखेडा (गुरलां) तहसील व जिला भीलवाडा।
3. भैरू लाल पिता बालु कीर, निवासी काबरों का खेडा(गुरलां) तहसील व जिला भीलवाडा।
4. देबीलाल पिता बालु कीर, निवासी काबरों का खेडा(गुरलां) तहसील व जिला भीलवाडा।
5. डालु पिता बालु कीर, निवासी काबरों का खेडा(गुरलां) तहसील व जिला भीलवाडा।
6. देबीलाल पिता छोगा कीर, निवासी लावडा का खेडा(गुरला) तहसील व जिला भीलवाडा।
7. रतन लाल पिता रूपा कीर, निवासी लावडा का खेडा(गुरला) तहसील व जिला भीलवाडा।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

––विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राज.अधि., 1956

निर्णय

दिनांक 29.05.2017

प्रार्थियागण के अधिवक्ता की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज. भू–राज. अधि., 1956 के तहत इस कार्यालय मे दिनांक 16.01.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम गुरलां पटवार हल्का गुरलां, तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी संख्या 1324 रकबा 02–14 बीघा, आराजी संख्या 1325 रकबा 00–10 बीघा, कुल किता 02 कुल रकबा 03–04 बीघा कृषि भूमि स्थित है। उक्त आराजी के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थियागण एंव विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। प्रार्थियागण अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें ।

प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थियागण के अधिवक्ता उपस्थित, बहस सुनी गई। विपक्षीगण उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से निःसंदेह है कि प्रार्थियागण स्वंय के खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है, वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अभिलेख मे किसी प्रकार से परिवर्तन होने का अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किए जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थनापत्र प्रार्थियागण स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थियागण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम गुरलां पटवार हल्का गुरलां, तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी संख्या 1324 रकबा 02–14 बीघा, आराजी संख्या 1325 रकबा 00–10 बीघा, कुल किता 02 कुल रकबा 03–04 बीघा कृषि भूमि की पत्थरगढी उक्त आराजी में फसल कट जाने के पश्चात 15 दिवस में उभय पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर तामील करा उभय पक्षकरान की उपस्थिति में करा देंवे। प्रार्थियागण इस कार्य के लिये तहसील भीलवाडा में 400/– अक्षरे चार सौ रूपये बतौर खर्चा सरकारी मद में राजकोष मे जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/– रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार भीलवाडा विधिवत पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट भिजावे।

आदेश आज दिनांक 29.05.2017 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल फाईल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।